

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/85/2016

तारीख रजु 14.07.2016

उनवान

1. ज्वाला सिंह पुत्र श्री सुखराम वगै० जाति जाटव निवासी बाई जटट तहसील हिण्डौन

-----सायलान(02)

बनाम

2. भगवान सिंह पुत्र बाबूलाल वगै० जाति जाटव निवासी बाई जटट तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----गैरसायलान 10

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 17.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक दावा ग्राम बाई जटट तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 931,932 के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सायल वकील को तलवी पेश करने हेतु कई अवसर दिए गये। पत्रावाली पत्रावली दिनांक 17.12.2019 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 85/2016 ज्वाला सिंह वगैरह बनाम भगवान सिंह वगै० अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

